

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 03 अभियुक्त गिरफ्तार

- *थाना दुधारा पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 03 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 5998 द्वारा जमीनी विवाद में घायल 04 व्यक्तियों को भेजवाया गया अस्पताल- पीआरवी 5998 को थाना धनघटा क्षेत्रांतर्गत खजुरटिकरा से इवेंट सं0 50245 कालर ने मो0न0- 9935981555 से कालर पिन्टू शुक्ला द्वारा जमीनी विवाद में घालय होने के कारण घायल 04 व्यक्तियों (1. चन्दू पुत्र सुरेश, 2 छोटू पुत्र सुरेश, 3 मोनिका पुत्री सुरेश, 4 विजयपति देवी पत्नी सुरेश निवासीगण खजुरटिकरा थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर) के घायल होने के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटनास्थल पर समय से पहुंचकर मारपीट में घायल व्यक्तियों को 108 एम्बुलेंस की सहायता से इलाज हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मलौली भेजवाया गया। घटना के सम्बन्ध थाना धनघटा को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घटनास्थल पर समय से पहुंचकर मारपीट में घायल व्यक्तियों को इलाज हेतु अस्पताल भेजवाया गया । जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।

***पीआरवी स्टाफ-* का0 बृजेश यादव, हो0चा0 मेजर यादव ।**

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 89 वाहनों से 1,04,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया
आज दिनांक 15.11.2024 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 89 वाहनों से 1,04,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया ।

“ऑपरेशन कनविक्शन” व “ऑपरेशन शिकंजा” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप एनडीपीएस एक्ट के तहत अभियुक्त को 01 वर्ष 03 माह के कारावास व कुल 1000 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर *श्री सत्यजीत गुप्ता* के निर्देशन में अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के क्रम में *संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल* के संयुक्त प्रयास के फलस्वरूप आज दिनांक 15.11.2024 को *ए0एस0जे0/एफटीसी द्वितीय जनपद सन्तकबीरनगर* द्वारा *थाना कोतवाली खलीलाबाद* पर पंजीकृत मु0अ0सं0 463/2021 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के मामलों में दोषसिद्ध अभियुक्त नाम पता आशीष गुप्ता उर्फ गचई पुत्र श्रीराम गुप्ता निवासी काजीपुर तेली टोला मगहर थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को मु0अ0सं0 463/21 थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर के प्रकरण में अभियुक्त आशीष गुप्ता उर्फ गचई को मु0अ0सं0 463/2021 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट में 01 वर्ष 03 माह के कारावास एवं 1000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने कि स्थिति में अभियुक्त को 05 दिवस कारावास में बिताना होगा। प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त द्वारा पूर्व में कारावास में बिताई गयी अवधि को दण्डादेश के साथ समायोजित किया जाएगा। अभि0 आशीष गुप्ता उर्फ गचई को अधिपत्र तैयार कर दण्ड भुगतने हेतु जिला करारागार संतकबीरनगर प्रेषित किया जाए।

थाना दुधारा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए बालिका के साथ दुष्कर्म व मारपीट करने के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

जनपद में *मिशन शक्ति अभियान* के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सत्यजीत गुप्ता* के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद *श्री अजीत चौहान* के निकट पर्यवेक्षण में *थाना दुधारा पुलिस द्वारा* मु0अ0सं0 425/24 धारा 69,115(2),351(2),352 बीएनएस के मामले में वाँछित अभियुक्त नाम पता अब्दुल समद खाना पुत्र मो0 उमर खान निवासी पुरैना थाना दुधार जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि उक्त अभियुक्त के द्वारा वादिनी की पुत्री के साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म व मारपीट करने के सम्बन्ध में वादिनी द्वारा दिनांक 14.10.2024 को थाना स्थानीय पर प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना दुधारा पुलिस द्वारा महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही कर आज दिनांक 15.11.2024 को उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री नंदू गैतम, का0 प्रदीप शाह, का रामप्रवेश पासवान, का0 अजीत पासवान।